रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-91/2026/769/22-2-2025-17(734)/2023

लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी के०पी० सिंह उर्फ कृष्णपाल सिंह उर्फ किशनपाल सिंह (बन्दी सं0-47996) पुत्र स्व0 प्रभुदयाल, जो ए0आई0 18 सूर्योदय बिहार, अंसल कालोनी, थाना-मेडिकल, जनपद-मेरठ का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-31/1997, भा0द0वि0 की धारा-343, 120बी, 220, 302 व 7/13 (1) (D) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोध बरेली के दण्डादेश दिनांक 08.05.2002 द्वारा दोषमुक्त किया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश 18-12-2017 द्वारा धारा 302, 343, 220 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.01.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 08 माह, 16 दिन की सजा भोगी जाने, संतोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-91/2026/769(1)/22-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in